भजनलाल शर्मा सरकार का ''एक वर्ष, परिणाम उत्कर्ष'' विपक्ष को हुआ अपच : राजेंद्र राठौड़

- 'कांग्रेस सरकार में नौकरियां बिकती थी, भजनलाल सरकार में नौकरियां मिलती हैं'
- निवेश समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन, प्रदेश का युवा होगा सशक्त, अर्थव्यवस्था होगी मजबूत : डॉ प्रेमचंद बैरवा

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गुरूवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के ''एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष'' विषय पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया।

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरूवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के ''एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष'' विषय पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली ही साल में हर वर्ग, हर समुदाय और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया। इससे विपक्षी दल कांग्रेसी नेताओं को अपच हो गयी। एक ओर प्रदेशभर के करीबन साढे तीन लाख से अधिक लोगों ने राजधानी जयपुर में उपस्थिति देकर सरकार के एक साल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता चंद कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर अलग ही फेक नेरेटिव बना रहे है। लेकिन पिछले आम चुनाव और विधानसभा उप चुनावों में जनता ने इनके फेक नेरेटिव को ध्वस्त करने का कार्य किया है।

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे है, जबकि वो भूल गए कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार 34 दिनों तक होटल में कैद रही। इतना ही नहीं, भाजपा के शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाने वाले डोटासरा जब स्वयं शिक्षा मंत्री थे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष शिक्षकों ने भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी। पेपरलीक माफियाओं पर भाजपा सरकार ने लगाम कसने का काम किया, लेकिन डोटासरा को यह नजर नहीं आ रहा है। पहले जहां नौकरियां बिकती थी, वहीं अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में योग्यताधारियों को नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीकेसी ईआरसीपी पर सवाल उठा रहे है, जबकि भाजपा सरकार ने इस योजना का शिलान्यास करवाया गया और अब जल्द ही यह परियोजना मूर्त रूप लेगी। भाजपा सरकार ने 1 लाख करोड से अधिक के विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त कर जनता को सौगात दी। सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य की ओर कार्य कर रही है। राठौड़ ने भी खुले मंच पर डोटासरा को बहस की चुनौती दी।

उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को संकल्प के तौर पर लेते हुए आगे बढाने का काम किया है। राइजिंग राजस्थान समिट को 4 माह में मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 9 से 11 दिसंबर तक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधियों के साथ देश-प्रदेश के निवेशकों द्वारा 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए जहां रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की ओर से निवेशकों की राह आसान करने के लिए जहां एकल विंडो शुरू करने का काम किया, वहीं प्रवासी लोगों के लिए 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने एक साल में हर क्षेत्र में हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कार्य किया। भाजपा सरकार ने पहले ही साल में प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में सड़कों के लिए बजट जारी किया। वहीं गहलोत सरकार ने 5 साल तक कोई कार्य नहीं किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज के अंतिम छोर और ढाणी-ढाणी में बैठे गरीब, जरूरतमंदों के लिए योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य किया है। फिर चाहे वाहे नए 33 केवी के जीएसएस निर्माण का कार्य हो या फिर पशु पालकों की सुविधा के लिए नए पशु केंद्र खोलने की सौगात हो।

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माइक्रो मॉनिटरिंग सिस्टम की बदौलत समाज के वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में भाजपा सरकार ने 12 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने का कार्य किया है। इनमें 2 लाख लाभार्थी तो विशेष योग्यजन है। प्रेसवार्ता में भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा और प्रदेश मीडिया सह संयोजक मेहराज चौधरी मंच पर उपस्थित रहे।

'द्रव्यवती नदी का रखरखाव कार्य प्रभावी तौर पर जारी रखें'

- जेडीए व कंपनी से सालाना रिपोर्ट भी मांगी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार प्रदूषण रहित वातावरण बनाए रखने और उसे नागरिकों को प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य भी है। यदि द्रव्यवती नदी के प्रोजेक्ट का संचालन व रखरखाव सही तरीके से नहीं होता है और इसकी उचित निगरानी नहीं होती है तो यह निश्चित तौर पर आमजन के लिए नुकसानदेह होगा। वहीं इससे उनके मौलिक अधिकारों की भी अवहेलना होगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए पक्षकारों को निर्देश दिए हैं कि वे द्रव्यवती नदी का रखरखाव प्रभावी तौर पर जारी रखें। अदालत ने जेडीए व कंसोर्टियम ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स को कहा है कि वे द्रव्यवती नदी के रखरखाव की वार्षिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश जेडीए की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। अदालत ने कहा कि दस्तावेजों से स्पष्ट है कि एक समय में कंपनी का अनुबंध खत्म हो गया था और उस समय द्रव्यवती नदी का रखरखाव सही तरीके से नहीं हुआ। इससे द्रव्यवती नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में एसटीपी के काम नहीं करने से बदबू आने लग गई थी और उन इलाकों में लोगों का ताजा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि जेडीए व कंपनी के बीच द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर 206.08 करोड रुपए का अनुबंध हुआ है। अनुबंध की यह राशि सीधे तौर पर जनता के हितों से जुडी हुई है और ऐसे में द्रव्यवती नदी का उचित रखरखाव करना राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षकारों का दायित्व है।

मामले में जेडीए के अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने बताया कि अदालत ने कॉमर्शियल कोर्ट के 24 अप्रैल 2024 के आदेश को भी संशोधित करते हुए जेडीए को कहा है कि वह कॉमर्शियल कोर्ट में अवार्ड की 50 फीसदी राशि नगद की बजाय उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडीआर के तौर पर जमा करवाए।

गौरतलब है कि जेडीए व टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के बीच द्रव्यवती नदी के रखरखाव को लेकर हुए अनुबंध को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। इस पर आब्रिट्रेटर ने कंपनी के पक्ष में 52 करोड रुपए का अवार्ड जारी किया था। जिसे जेडीए ने कॉमर्शियल कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर कोर्ट ने जेडीए को 26 करोड रुपए नगद जमा करवाने का निर्देश दिया था। कॉमर्शियल कोर्ट के इस आदेश को जेडीए ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

- राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा मून्दडा-पानीपत कूड ऑयल पाईप लाईन मामले में दिये गये स्थगन आदेश को खारिज किया

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायधीश महेन्द्र गोयल ने इण्डियल ऑयल कॉर्पोरेशेन द्वारा प्रस्तुत स्थगन निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एकलपीठ के न्यायाधीश सुदेश बंसल द्वारा पूर्व में दिये गये एक पक्षीय स्थगन आदेश को खारिज कर दिया।

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी एवं उनके सहयोगियों ने न्यायालय को बताया कि ग्राम साखु, तहसील लक्षमणगढ़, जिला सीकर के निवासी महेन्द्र कुमार द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा मदूंडा से पानीपत के बीच डाली जा रही हजारों करोड़ रुपये की क्रूड ऑयल पाईप लाईन के मामले में 4 सितम्बर 2024 को न्यायधीश सुदेश बंसल द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करते हुए यथास्थिति का आदेश जारी कर दिया था जिससे भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट को भारी क्षति हुई। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को कहा गया था कि किसी दूसरे व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुंचाने की दृष्टि से उसकी भूमि को गलत तरीके से अवाप्त किया जा रहा है और पाईपलाईन का अलाईनमेंट भी परिवर्तित कर दिया गया है। इस पर एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित कर दिया गया था जिसके कारण इतना महत्वपर्णू प्रोजेक्ट बीच में ही रूक गया। इस मामले में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से स्थगन को खारिज कराने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु उस पर लम्बे समय तक सुनवाई ना होने के कारण इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक पक्षीय स्थगन आदेश के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।

खण्डपीठ ने 4 दिसम्बर 2024 को अपील मे सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया था कि एकपीठ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर 15 दिन में सुनवाई करें। आज मामले में विस्तृत सुनवाई हुइ। रस्तोगी द्वार तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी उचित आधार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना को रूकवा दिया है जिसका कोई औचित्य नहीं है और याचिका में लगाये गये आरोप निराधार हैं और पाईपलाईन का अलाइनमेंट इसलिए परिवर्तित करना पड़ा क्योंकि रास्ते मे पहले से ही निर्मित एक मन्दिर आ रहा था आरै अलाईनमटें परिवर्तन से भी याचिकाकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अपितु याचिकाकर्ता कि जो भूमि पहले अवाप्त की जा रही थी उससे भी 400 मीटर भूमि कम अवाप्त की गई। रस्तोगी द्वारा यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को चुनौति नहीं दी गई और इस मामलें में पेट्रोलियम अधिनिमय की धारा 6 के अन्तर्गत भूमि अवाप्त होकर भारत सरकार में अन्तिम रूप से निहीत हो चुकी है और अवार्ड जारी होकर मुआवजा राशि भी भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे निर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि जब एक बार अवाप्ति के पश्चात भूमि सरकार में निहित हो जाती है तब उसे वापिस नहीं दिया जा सकता। न्यायालय को यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही ऐसे बड़ी परियोजनाओं के संबंध में यह निर्णय दिये हुए हैं कि सामान्यत: न्यायालय को ऐसी प्रमुख परियोजनाओं को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय हित के विपरीत होता और और स्थगन के कारण प्रोजेक्ट राशि कई गुना तक बढ़ जाती है। मामले पर लम्बी सुनवाई करने के बाद न्यायधीश महेन्द्र गोयल ने रस्तोगी के तर्कों से सहमत होते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश 4 सितम्बर 2024 को खारिज कर दिया। इस कारण अब इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार के एक साल को विफल बताते हुए कांग्रेस ने शॉर्ट फिल्म जारी की

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में भाजपा के एक साल के कार्यकाल को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक रोहित बोहरा ने विफल बताते हुए कांग्रेस की ओर से एक शार्ट फिल्म का प्रदर्शन किया। इसमें चुनाव से पहले भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दावों और वादों को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गया।

इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि सस्ती या निशुल्क जमीन लेने के लिए भाजपा के कई नेताओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। भाजपा के चुने हुए विधायक और जनप्रतिनिधि खनन और बजरी माफिया बन गए हैं। अवैध खनन की बजरी खपाने के लिए कई जगहों पर सड़कों के काम शुरू किए गए।

डोटासरा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा-आरएसएस के नेताओं से लेकर पीएम मोदी तक ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे कर सत्ता हासिल की। अब हिसाब का समय आ गया है।

जर्मनी कंपनी अल्बाट्रॉस जोधपुर में लगाएगी औद्योगिक इकाई

- रक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन कंपनी अल्बाट्रॉस जोधपुर के तिंवरी क्षेत्र में शुरू करेगी औद्योगिक इकाई

जयपुर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन (रीको) द्वारा जोधपुर के तिंवरी औद्योगिक क्षेत्र में जर्मनी की प्रसिद्ध कंपनी अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट को जमीन दी गयी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के लिए अक्टूबर-2024 में म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित रोड शो के दौरान अल्बाट्रॉस के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मध्य हुई उच्च-स्तरीय बैठक के उपरांत रीको ने तत्परता से भूमि आवंटन से लेकर परियोजना आरंभ तक की प्रक्रिया को कंपनी के लिए सुगम बनाया। रीको ने प्रत्येक चरण में कंपनी को हरसंभव सहायता प्रदान की जो रीको की राज्य में अत्यधिक औद्योगिक निवेश लाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है।

रीको द्वारा अल्बाट्रॉस के प्रतिनिधियों को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि विकल्प दिखाए गए जिसमें कंपनी द्वारा तिंवरी, जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र को उनके प्रस्तावित निवेश हेतु उपयुक्त पाया गया। भूखंड की पहचान के बाद रीको ने इसे ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध कराया, जिससे अल्बाट्रॉस जल्द से जल्द भूमि प्राप्त कर सके। तत्पश्चात् परियोजना की राज्य में निवेश के लिए महत्ता को ध्यान में रखते हुए रीको ने द्रुत गति से प्रस्ताव पत्र जारी किया, जिससे कंपनी की संचालन गतिविधियां शीघ्रता से आरंभ हो सकें। अल्बाट्रॉस प्रोजेक्ट (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी) और (एयरोस्पेस और मिलिट्री सिस्टम) परीक्षण समाधानों के क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रदाता है। कंपनी की यूरोप, अमेरिका, चीन और भारत में मजबूत उपस्थिति है। जोधपुर में स्थापित होने वाली नई इकाई रक्षा, एयरोस्पेस और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए उन्नत आरएफ चैंबर्स और मेटल पैनल निर्माण पर केंद्रित होगी। 10,000 वर्गमीटर भूमि पर संचालित होने वाली इस इकाई में कंपनी 42 करोड़ रूपये का नियोजित निवेश करके नई नौकरियां सृजित करेगी, जिससे स्थानीय एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर रीको के प्रबंध निदेशक इंदरजीत सिंह ने कहा, ''रीको राजस्थान में विश्वस्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तत्रं बनाने की ओर अग्रसर है। अल्बाट्रॉस के साथ यह साझेदारी वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और राजस्थान को औद्योगिक विस्तार के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह साझेदारी राजस्थान को वैश्विक औद्योगिक और रक्षा क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।''

रीको राज्य में औद्योगिक इकाइयों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त निवेशकों के लिए सुगम प्रक्रियाएं और व्यापार-अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे राजस्थान में निवेशक आसानी से इकाई स्थापित कर सकें। ऐसे प्रयासों के माध्यम से रीको न केवल स्थानीय अपितु वैश्विक व्यवसायों के विकास को भी समर्थन देता है।

देश बाबा साहेब के संविधान के हिसाब से ही चलेगा : भजनलाल शर्मा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को दिल्ली दौरे के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी बाबासाहेब के अंत्योदय के विचार को लेकर चलती है। बाबासाहेब हमेशा दलित, पिछडे वर्ग एवं अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात करते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबासाहेब के दिखाए रास्ते पर आगे चल रही है। सदन में गृहमंत्री अमित शाह की बात से कांग्रेस तिलमिला गई है।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबासाहेब आंबेडकर का सम्मान कभी नहीं किया। बाबासाहेब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया, बाबासाहेब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, बाबासाहेब ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, बाबासाहेब को कांग्रेस ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया, पंचतीर्थों के विकास का काम क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबासाहेब के पंचतीर्थों का निर्माण कर उनके योगदान को देश के सामने रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने दलित परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद तथा आदिवासी समाज से आने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया।

विजयेन्द्र सोनी बने अध्यक्ष

जयपुर। श्री मैढ क्षित्रय स्वर्णकार सभा के चुनावों में विजयेंद्र सोनी को सभा का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। 13 उम्मीदवारों में से अध्यक्ष विजयेन्द्र सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष चिरंजी लाल सोनी, उपाध्यक्ष (प्रथम) नरेन्द्र सोनी, उपाध्यक्ष (द्वितीय) त्रिलोक सोनी, महामंत्री देवकी नन्दन सोनी, सहमंत्री (प्रथम) अनिल सोनी, सहमंत्री (द्वितीय) शिवशंकर सोनी, संगठन मंत्री महेश सोनी घोषित किया।

इनकम टैक्स ने टैंट कारोबारी और इवेंट कम्पनी से जुड़े 24 ठिकानों पर छापा मारा

जयपुर। आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह टेंट कारोबारी और इवेंट कंपनी से जुड़े व्यापारियों के 24 ठिकानों पर छापामारी की। टीम सुबह करीब 7:30 बजे 24 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ पहुंची थी। इनमें बनीपार्क, झोटवाड़ा, वीकेआई, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, राजा पार्क, आदर्श नगर शामिल हैं।

आयकर विभाग के अधिकारी कारोबारी और कम्पनी का पिछले तीन साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं।अभी टीम व्यापारियों के घर, ऑफिसर और गोदाम में भी सर्च किया । इनमें अधिकतर व्यापारी शादियों से जुडे इवेंट करवाते हैं। छापेमारी वाली टीम में करीब 200 अधिकारी-कर्मचारी, 100 पुलिसकर्मी शामिल हैं। करीब 100 गाड़ियों से टीमें अलग-अलग ठिकानों पर पहुंची थीं। शहर के तालुका टेंट, भावना चारण, प्रितेश शर्मा, आनंद खंडेलवाल, गुंजन सिंघल, जय ओबराय कैटर्स समेत अल्ट्रा वेडिंग इवेंट से जुडे ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि इवेंट कंपनी और टेंट कारोबारी ग्राहकों से ऑफलाइन पैसा ले रहे थे। सर्च के दौरान कई जगह बिल बुक तक नहीं मिले हैं। कारोबारियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार जिन व्यापारियों के यहां रेड की गई है, वह वीवीआईपी शादी कराने और डेकोरेशन काम करने वाला ग्रुप है। यह ग्रुप कई बड़े होटलों से जुड़ा है। व्यापारियों के बारे में आयकर विभाग को तमाम अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। तय सीमा से ज्यादा ऑफलाइन मोड में पेमेंट लेने का भी आरोप है। राजस्थान के बाहरी राज्यों और विदेश से आने वाले लोगों से संबंधित इवेंट यह ग्रुप कराता है।

जिंदा बम मामले में आरोपी आजमी को शहर छोड़ने की मंजूरी

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2008 में शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में आरोपी सरवर आजमी को मिली जमानत की शर्तों में बदलाव किया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को जयपुर छोड़ने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने आरोपी को कहा है कि वह हर सप्ताह आजमगढ के पुलिस थाने में हाजिरी दर्ज कराएगा। इसके अलावा वह अपना स्थाई पता भी एटीएस को देगा और अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदलेगा। इससे पूर्व अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई थी कि वह हर सुबह दस से बारह बजे तक जयपुर के एटीएस कार्यालय में उपस्थिति देगा।

आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा कि वह जयपुर से आजमगढ़ शिफ्ट होना चाहता है। वहीं उसने जमानत की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है। इसलिए उसका आवेदन स्वीकार कर उसे आजमगढ जाने की मंजूरी दी जाए।

अच्छा काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को मिलेगा प्रोत्साहन : गायत्री राठौड़

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवा तंत्र निरंतर सुदृढ़ हो रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से वीडियो कॉल के माध्यम से प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण एवं स्वास्थ्यकर्मियों से संवाद का नवाचार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। गुरूवार को भी विभाग की प्रमुख शासन सचिव से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों ने गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य केंद्रों पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाओं का वीडियो कॉल के माध्यम से हाल जाना और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी, ब्यावर के जवाजा, अलवर के थानागाजी, झालावाड़ सहित अन्य स्थानों पर वीडियो कॉल कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जांची। उन्होंने बीसीएमओ, चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों से संवाद किया। संवाद के दौरान राठौड़ ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के तहत संस्थागत प्रसव, टीकाकरण आदि मानकों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और इन्हें और बेहतर करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने वीडियो कॉल कर प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जांची।

प्रमुख शासन सचिव ने चिकित्सा अधिकारियों से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों के आयोजन एवं इनमें उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन कैम्पों में कैंसर व टीबी स्क्रीनिंग सहित अन्य जांचों पर फोकस किया जाए, ताकि आमजन के स्वास्थ्य के संबंध में फील्ड स्तर से वास्तविक जानकारियां प्राप्त हो सके और लोगों को बीमारी के गंभीर स्तर पर पहुंचने से पहले ही उपचार और परामर्श उपलब्ध करवाया जा सके।

राठौड़ ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर आयोजित इस संवाद के दौरान अधिकांश स्थानों पर सुचारू व्यवस्थाएं देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों पर इसी तरह सेवाभाव के साथ काम करते हुए आमजन को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को विभाग की ओर से भरपूर प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्हें उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

- प्रदेशभर में करीब एक हजार से अधिक कॉल कर जानी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियां
- आयुष्मान आरोग्य शिविरों का पहुंचाएं अधिक से अधिक लाभ : प्रमुख शासन सचिव

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक भारती दीक्षित, निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर सहित राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय करीब 100 अधिकारियों ने एक हजार से अधिक कॉल कर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि स्वास्थ्य सेवाओं में पहले के मुकाबले निरंतर सुधार हो रहा है।

पाक महिला हैंडलर को सामरिक सूचनाएं देने वाले आरोपी सैन्यकर्मी को जमानत

- हाईकोर्ट ने यह आदेश शांति मोय राणा की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की महिला हैडलर को भारतीय सेना से जुडी सामरिक महत्व की सूचनाएं देने के आरोप में करीब ढाई साल से जेल में बंद सैन्यकर्मी शांति मोय राणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश शांति मोय राणा की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में अधिवक्ता सुलेमान खान ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है। निचली अदालत में हुए एक गवाह के बयान से साफ है कि उसने पाकिस्तान फोन नहीं किया। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। मामले में 18 गवाहों में से सिर्फ 6 गवाहों के बयान ही दर्ज हुए हैं और वह 25 जुलाई, 2022 से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसके विरोध में सरकारी वकील मंजू दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गुप्त सूचनाएं देकर बदले में धनराशि प्राप्त की है। गिरफ्तारी के समय याचिकाकर्ता दो साल से भारतीय सेना में पदस्थापित था। मुखबिर से मिली सूचना पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की गई थी। जिसमें सामने आया कि उसने पाक महिला हैंडलर को सेना के गोपनीय दस्तावेज और युद्धाभ्यास के वीडियो भेजे थे। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए।